कार्यालय निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ।

क्रमांकः— शिविरा/प्रांर/शैक्षिक/बी/3630/शा.दण्ड/07—09 दिनांक 20|8|10

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
(समस्त)

विषयः— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के अन्तर्गत विधालयो में बालको को शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबन्ध बाबत ।

प्रसंगः— प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा जयपुर का पत्रांकः—एफ 21(19)शिक्षा—1/ई.ई/2009 दिनांक 16.8.10

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बंध में लेख है, कि विधालयो में छात्र—छात्राओं को शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीडन देने पर पूर्णतःपाबंदी है,इस बाबत इस कार्यालय द्वारा समय—समय पर आपको पत्र लिखे गये हैं। फिर भी प्रायःविभिन्न स्त्रोतो एवं समाचार पत्रों से विधालय में छात्र—छात्राओ को शारीरिक दण्ड दिये जाने की धटनाऐ प्रकाशित होती रही है।

इस सम्बंध में आपका ध्यान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के प्रावधान की धारा 17 की ओर दिलाना चाहूँगा जिसके अन्तर्गत बालको को स्कूलो में शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लगाया गया है :—

धारा17 (1) किसीभी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन नही किया जाएंगा।

(2) जो कोई उपधारा (1)के उपबन्धो का उल्लधंन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमो के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का दायी होगा।

आप अपने अधीनस्थ समस्त विधालयो के संस्था प्रधानो एवं शिक्षको को उक्त निर्देशो की कठोरता से पालना करने के सम्बन्ध में तत्काल निर्देश जारी करें।इस सम्बंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ किसी भी विधालय में,किसी भी शिक्षक के विरुद्ध बालको को दिये गये शारीरिक दण्ड सम्बंधी कोई शिकायत प्राप्त होती हो अथवा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज होने पर आप तत्काल दोषी शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
(1)श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
(2)निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर।
(3)समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
(4)सम्पादक शिविरा पत्रिका,बीकानेर को 07 प्रतियॉं प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

68

कार्यालय निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / प्रांर / शैक्षिक / एबी / एनसीपीसीआर / 10–11 दिनांक 19/01/11

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा(समस्त)

विषयः– 'समेकित बाल संरक्षण योजना' के संबंध में।
प्रसंगः– राज्य सरकार के पत्रांक प.2(3)शिक्षा–1 / प्राशि / 11 दिनांक 07.01.2011.

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सरकार बच्चों के संरक्षण हेतु संकल्पित होकर इस हेतु निरन्तर प्रयासरत है इस हेतु 'किशोर न्याय अधिनियम 2000' एवं नवआरम्भ समेकित बाल संरक्षण योजना' के कियान्वयन हेतु बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार,शोषण, हिंसा की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। इस हेतु शालाओं में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को विद्यालय के ही शिक्षक / शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शारीरिक / मानसिक प्रताडना दी गई,जिसके कारण कुछ बच्चों को अकाल मृत्यु का सामना करना पडा, ये घटनाऐं बाल संरक्षण से जुडे कानून एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना है। बच्चों के साथ हो रही इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ–2 उनके अधिकारों का उल्लंघन,शारीरिक / मानसिक प्रताडना की संभावना होने पर वे इस सम्बन्ध में कहॉ सम्पर्क करें,इसकी उन्हें जानकारी हो।

किशोर न्याय अधिनियम2000 की धारा 31 में अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानानुसार प्रत्येक जिले में गठित 'बाल कल्याण समिति' को बच्चों की देखरेख,संरक्षण,उपचार,विकास एवं पुनर्वास के निस्तारण तथा उनकी आवश्यकताओं तथा अधिकारों के संरक्षण हेतु अंतिम प्राधिकारी बनाया गया है। इस समिति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा 29(5) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्य के चार जिला मुख्यालयों पर(अलवर,कोटा,उदयपुर व जयपुर)परं ऐसे बच्चो के लिए निःशुल्क आपातकालीन दूरभाष सेवा 'चाइल्ड लाईन'(जिसका टोल फ्री नम्बर 1098 है।)संचालित की जा रही है जिसे निकट भविष्य में प्रत्येक जिलों में विस्तारित किया जाना है।

बीकानेर +

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि निम्नांकित निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करावें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें ताकि राज्य सरकार को अवगत कराया जा सके:–

राज्य के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में बाल कल्याण समिति के बारे में सहज दृशित होने वाले स्थान(यथा नोटिसबोर्ड,विद्यालय प्रवेश द्वार आदि) पर संक्षिप्त जानकारी एवं समिति के अध्यक्ष / सदस्यों का नाम पता व दूरभाष अंकित कराऐं जावें।

इसके साथ निःशुल्क आपातकालीन दूरभाष सेवा चाईल्ड लाईन(जिसका टोल फ्री नम्बर 1098 है)का अंकन भी करावें।

शिक्षकों को पाबंद किया जावे कि वे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार शोषण,हिंसा,शारीरिक / मानसिक प्रताडना से दूर रहें तथा इस प्रकार की घटना घटित होने पर अविलम्ब बाल कल्याण सकिमति व पुलिस को सूचित करें।इस प्रकार की घटनाओं में शिक्षकों के संलिप्त होने पर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

समय समय पर आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकमों शिक्षक सम्मेलनों में शिक्षका को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जावे।

प्रत्येक माह में दो तिथि निर्धारित कर बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जावे,इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक को प्रभारी बनया जावे।

अतिरिक्त निदेशक(शैक्षिक)
प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,जयपुर।
2 निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग,जयपुर।
3 शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–1)आयोजना विभाग शासन सचिवालय जयपुर को प्रासंगिक पत्र के कम मे सूचनार्थ।
4 सम्पादक,शिविरा पत्रिका को सात प्रतियों के प्रकाशनार्थ प्रेषित है।